आदेश/ कार्रवाई/ टिप्पणी ... एवं ... स्थान ... ल,

प्रपत्र सं0-563

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
3	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1865 दिनांक 21.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार – क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत छकन भुइंया वल्द नान्दो भुइंया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 8.64 एकड़ भूमि है। मौजा–कर्वेखुर्द ऑनलाईन पंजी–।। के पृष्ठ संख्या-107/I पर खाता संख्या–07 कुल रकवा 7.4475 एकड़ का छकन भुइंया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022–23 तक लगान रसीद निर्गत् है। जमाबंदी रैयत आवेदक के वंशज हैं। आवेदक द्वारा संयुक्त जमाबंदी के अनुसार धारित कुल रकवा 4.4475 एकड़ एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 4.1275 एकड़ भूमि है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नही है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा एवं मसो0 सुगनी देवी से प्राप्त आवेदन–पत्र, शपथ–पत्र के आलोक में (1.) प्रकाश राम पिता स्व0 शुकर राम एवं (2.) मो0 सुगनी देवी पति स्व0 बुधन राम, निवास स्थान ग्राम–अमृतनगर कर्वेखुर्द, पोस्ट–कोर्रा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–कर्वेखुर्द, थाना नं0–172, खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–802, 804, 805, 832 एवं 871, रकवा क्रमशः 0.0150 एकड़, 0.1550 एकड़, 0.0450 एकड़,	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... कार्रवाई ... टिप्पणी ...
1	2	
	0.0350 एकड़ एवं 0.07 एकड़ कुल रकवा 0.32 एकड़ (32 डिसमिल) (बत्तीस डिसमिल) भूमि प्रभु राम पिता बिरू राम, निवास स्थान ग्राम-सिंघानी, थाना-मुफफसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.07 16:27:07 +05:30
Location: 192.168.43.127